



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-927/2026/2379/22-2-2025-17(1358)/2023
लखनऊ: दिनांक: 09 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2025 (16 नवम्बर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राजू (कैदी संख्या-28958) पुत्र श्री नाथूराम, निवासी नगला काशी, थाना-सोरो, तत्कालीन जिला-एटा वर्तमान जिला-कासगंज जिसे सत्र परीक्षण संख्या-785,784/2008 में धारा-302 आई.पी.सी व 25 ए०एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु०अधि०), एटा के आदेश दिनांक 17.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह 16 दिन एवं 21 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 927/2026/2379(1)/22-2-2025 एवं तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।